

2011 11:57 FROM:

TO: 007512449447

P. 1

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
यत्लम भवन, गोंडाल-462004

क्रमांक एफ 73-11/2011/20-3

गोंडाल दिनांक

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल
पीठ विहार, नई दिल्ली।

विषय - अज्ञातसंकीर्ण शिक्षण संस्था ग्वालियर ग्लोरी हाई स्कूल, नीमचन्ददोहा, शिवपुरी लिंकरोड, ग्वालियर, म.प्र. को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्यक्ता हेतु अनापत्ती प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

-----0000-----

राज्य शासन द्वारा विद्यमान संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर संस्था को सी.बी.एस.ई. से सम्यक्ता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है -

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बाह्य से सम्यक्ता मिलने के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा।
- (2) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी, ग्वालियर (न.प्र.) अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर.उपाध्याय)
अवर सचिव


मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

29/6/11



MANAGER
Gwalior Glory High School
GWALIOR

Adhwan



2

पू0क0 एक क्रमांक एक 73-11/2011/20-3

भांपाल,दिनांक 28/6/11

प्रतिलिपि -

1-

सचिव, अशासकीय शिक्षण संस्था ज्वालियर र्नाथ हाई स्कूल,
नीमचन्ददोहा, शिवपुरी जिला, ग्वालियर 40900 को सी.बी.एस ई रा
सम्बद्धता/मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की
जाती है -

- (1) संस्था सी.बी.एस.ई. के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं
इसका परीक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।
- (2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत
आवेदन पत्र या शपथ-पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने
पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा
समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन किए जाने पर या
प्राप्त शिकायत जांच में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा
जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

2-

आयुक्त, लोक शिक्षण, भांपाल, म.प्र.।

3-

जिला शिक्षा अधिकारी, जिला ग्वालियर, म.प्र.।

4-

ऑर्डर बुक।

3/2/11-28/6/11
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
28/6/11

Principal
Gwalior Glory High School

MANAGER
Gwalior Glory High School
Gwalior

Principal
Gwalior Glory High School
Gwalior